रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07112026-277763
CG-DL-E-07112026-277763

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 653] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 4, 2026/कार्तिक 13, 1948
No.653] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 4, 2026/KARTIKA 13, 1948

भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर, 2026

फा.सं. टी-21032/1/2020-एनआईसी (ङ).— भाण्डागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 (2007 का 37) की धारा 35 की उपधारा (2) के खण्ड (त) के साथ पठित भाण्डागारण (विकास और विनियमन) भाण्डागार पंजीकरण नियम 2017 के नियम 4 के उपनियम (1क) और नियम 25 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भाण्डागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण एतद्वारा निर्धारित करता है कि नीचे दी गई तालिकाओं में निर्दिष्ट कृषि और गैर-कृषि (धातुओं के अलावा) वस्तुओं (पहले से अधिसूचित वस्तुओं के अतिरिक्त) को किसी पंजीकृत भाण्डागार में भंडारित किया जाएगा, अर्थात्:-

तालिका 1 – कृषि वस्तुएँ

क्र.सं.	वस्तु का नाम
(1)	(2)
1	अजवाइन बीज
2	रतनजोत (जटरोफा) बीज

3	पवाड़ बीज
4	क्विनोवा
5	पोहा
6	सूखा कसा नारियल
7	शुष्क अंजीर
8	पोस्त तेल निकाला हुआ
9	सूखे हरे मटर
10	वसा रहित सोया आटा
11	वसा रहित मूँगफली का आटा
12	वसा रहित तिल का आटा
13	वसा रहित नारियल आटा
14	वसा रहित बिनौला आटा
15	एक्सपेल प्रैस्ड खाने योग्य मूँगफली आटा
16	टमाटर प्यूरी
17	प्राकृतिक जैतून तेल
18	परिष्कृत जैतून तेल
19	जैतून तेल
20	परिष्कृत अवशेष जैतून तेल
21	जैतून अवशेष का तेल
22	सुखी मीठी तुलसी तेल

तालिका 2 – गैर-कृषि वस्तुएं (धातुओं के अलावा)

क्र.सं.	वस्तु का नाम
(1)	(2)
1	तरल आधारित एजोटोबैक्टर जैव उर्वरक
2	तरल आधारित राइजोबियम जैव उर्वरक
3	तरल आधारित एजोस्पिरिलम जैव उर्वरक
4	तरल आधारित फॉस्फेट घुलनशील बैक्टीरियल उर्वरक (पीएसबीआई)
5	अमोनियम क्लोराइड (उर्वरक ग्रेड)
6	अमोनियम सल्फेट (उर्वरक ग्रेड)
7	यूरिया अमोनियम फॉस्फेट आधारित उर्वरक
8	नाइट्रोफॉस्फेट-आधारित दानेदार उर्वरक

2. दोनों तालिकाओं में निर्दिष्ट वस्तुएं एगमार्क या भारतीय मानक ब्यूरो या भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण या राष्ट्रीय कृषि बाजार (ईएनएएम) के गुणात्मक विनिर्देशों या मानकों का अनुपालन करेंगी:

बशर्ते कि यदि इन वस्तुओं के लिए एगमार्क या भारतीय मानक ब्यूरो या भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण या राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) के मानक मौजूद नहीं हैं तो, केंद्र सरकार या राज्य सरकारों या सरकारी निकायों द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मानक लागू होंगे।

3. रासायनिक या संबद्ध प्रयोगशाला विश्लेषण की आवश्यकता वाली वस्तुओं के लिए, सभी एगमार्क प्रयोगशालाएं, राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रत्यायन बोर्ड द्वारा अधिसूचित सभी मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाएं और भारतीय मानक ब्यूरो, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, केंद्र सरकार या राज्य सरकार की प्रयोगशालाओं और उनके द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य प्रयोगशालाएँ, प्रयोगशाला परीक्षण के लिए प्राधिकृत है।

सरवनन पी. के., उप सचिव (प्रशासन एवं वित्त/ डब्ल्यूडीआरए)

[विज्ञापन-III/4/असा./419/2026-27]

WAREHOUSING DEVELOPMENT AND REGULATORY AUTHORITY

(Department of Food and Public Distribution)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th of October, 2026

F.No. T-21032/1/2020-NIC (E).— ln exercise of the powers conferred by clause (p) of sub-section (2) of section 35 of the Warehousing (Development and Regulation) Act, 2007 (37 of 2007) read with sub- rule (1A) of rule 4 and clause (a) of rule 25 of the Warehousing (Development and Regulation) Registration of Warehouses Rules 2017, the Warehousing Development and Regulatory Authority hereby determines that the agricultural and non-agricultural (other than metals) commodities specified in the tables below (in addition to the previously notified commodities) shall be stored in a registered warehouse, namely:-

Table 1 – Agricultural Commodities

S.No	Name of the Commodity
(1)	(2)
1	Celery seed
2	Jatropha seeds
3	Puwad seeds
4	Quinoa
5	Poha
6	Dessicated coconut
7	Dried Figs
8	Poppy seed oil expressed
9	Dry Green Peas
10	Solvent Extract Soya Flour
11	Solvent Extracted Groundnut Flour
12	Solvent Extracted Sesame Flour
13	Solvent Extracted Coconut Flour
14	Solvent Extracted Cotton Seed Flour
15	Expeller Pressed Edible Groundnut Flour
16	Tomato Puree
17	Virgin olive oil
18	Refined olive oil

19	Olive oil
20	Refined olive pomace oil
21	Olive pomace oil
22	Dried Sweet Basil Leaves

Table 2 – Non-Agricultural Commodities (other than metals)

S.No.	Name of the Commodity
(1)	(2)
1	Liquid Based Azotobacter spp. Inoculants
2	Liquid Based Rhizobium Inoculants
3	Liquid Based Azospirillum Inoculants
4	Liquid Based Phosphate Solubilizing Bacterial Inoculants (PSBI)
5	Ammonium Chloride (Fertilizer Grade)
6	Ammonium Sulphate (Fertilizer Grade)
7	Urea Ammonium Phosphate Based Fertilizers
8	Nitrophosphate Based Granulated Fertilizers

2. The commodities specified in both the tables shall comply with the qualitative specifications or standards of the AGMARK or Bureau of Indian Standards or Food Safety and Standards Authority of India or National Agriculture Market (eNAM):

Provided that in case, standards of AGMARK or Bureau of Indian Standards or Food Safety and Standards Authority of India or National Agriculture Market (eNAM) do not exist for these commodities, quality standards laid down by the Central Government or State Governments or Governmental bodies shall be applicable.

3. For the commodities requiring chemical or allied laboratory analysis, all AGMARK laboratories, all accredited laboratories notified by the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories and laboratories recognized by the Bureau of Indian Standards, Food Safety and Standards Authority of India, Central Government or the State Government laboratories and other laboratories recognised by them are authorised for laboratory testing.

SARAVANAN PK, Dy. Secy. (Admin& Fin/WDRA)

[ADVT.-III/4/Exty./419/2026-27]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
BHABAJIT DEKA